कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–संरक्षण)
सतपुडा भवन म0प्र0 भोपाल

Tel. (Office)2674212,2551450(Fax) 2551450.Email:Apccfprot@mp.gov.in

कमांक / एफ– 8 / 10–10 / 194 भोपाल, दिनांक 19.1 / 11

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय / वन्यप्राणी)

समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय / उत्पादन)

म0प्र0

विषयः– **अवैध कटाई एवं वन अपराध से संबंधित ठूँठों की ड्रेसिंग हेतु निर्देश।**

संदर्भ :– **कार्या. पत्र कमांक संरक्षण**/3/1274 दिनांक 7/6/2004

––"––

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा वन क्षेत्र में अवैध कटाई का संज्ञान होने पर की जाने वाली जॉच हानि गणना अभिलेखन ठूठ ड्रेसिंग आदि हेतु विस्तृत निर्देश दिये गये है। लेकिन अधिकांश वन वृत्तों में अवैध कटाई एवं वन अपराध से संबंधित ठूँठों का ठूँठ ड्रेसिंग कार्य नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। जिससे संवेदनशील वन क्षेत्रों में जैविक दबाव के साथ वैज्ञानिक ढंग से ठूँठ ड्रेसिंग एवं उपचार नहीं किये जाने से वृक्षों की संख्या में तेजी से गिरावट देखी जा रही हैं। ऐसे ठूँठों को कई वर्ष बाद उत्पादन वन मण्डल को कूप विदोहन के समय चिन्हांकित कर ठूठ ड्रेसिंग हेतु सौपा जाता है। जिससे कई ठूँठ अनुपयोगी होकर सूख जाते है एवं अच्छा कॉपिस नहीं आता है। यह प्रकिया पूर्णतः अवैज्ञानिक एवं वन संवर्धन के विपरित है जबकि ठूँठ ड्रेसिंग कार्य वृक्षों की अवैध कटाई के संज्ञान एवं वन अपराध पंजीबद्ध होने के तुरंत बाद (वर्षाकाल को छोड़कर) किया जाना चाहिये जिससे समय पर अच्छा कॉपिस ठूँठ से प्राप्त किया जा सके। अवैध कटाई के ठूठ ड्रेसिंग हेतु निम्न प्रकिया का पालन किया जावे :–

1. आकस्मिक जॉच / बीट रोस्टर जॉच के दौरान अवैध कटाई पायी जाने पर तत्काल अपराध का संज्ञान लिया जाकर प्रारम्भिक जॉच उपरान्त विधिवत वन अपराध पंजीबद्ध कर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।

2. वन अपराध की प्रारम्भिक जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबधित परिक्षेत्र अधिकारी 7 दिवस में अवैध कटाई में पाये गये ठूँठो की ड्रेसिंग के प्रस्ताव उप वन मण्डल अधिकारी के माध्यम से स्वीकृति हेतु वन मण्डलाधिकारी को प्रेषित करेंगे। वन मण्डलाधिकारी प्रकरण का परीक्षण कर 7 दिवस में ठूँठ ड्रेसिंग कार्य की स्वीकृति जारी करेंगे । स्वीकृति

प्राप्त होने के 15 दिन में संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी ठूँठ ड्रेसिंग कार्य पूर्ण करावेगा एवं इस बाबत् वन अपराध के जॉच प्रतिवेदन में प्रमाण पत्र अंकित करेगा ।

3. ठूँठ ड्रेसिंग के पश्चात ठूँठ के उपर बीट हेमर लगाकर ठूँठ कमांक एवं पी0ओ0आर0 कमांक लाल पेन्ट से अंकित किया जावेगा। ठूँठ ड्रेसिंग के दौरान ठूँठ की जड़ पर अंकित विवरण यथावत रहेंगे ।

4. कार्यालयीन पत्र कमांक/संरक्षण/3/1274 दिनांक 7/6/2004 के बिन्दु क 4.6 में अभिलेखन हेतु निर्देश दिये गये है। जिनका पालन सुनिश्चित करें ।

4.6 ठूँठों के समतल सतह पर वर्ष की गणना का ठूँठ कमांक एवं यदि कोई लकड़ी मिली है एवं उसके टुकड़े बनाये गये है तो प्राप्त टुकड़ो की संख्या दर्शाई जाये अर्थात 205 नम्बर के ठूँठ में यदि कोई लकड़ी नहीं मिलती या 4 टुकड़े मिलते है तो कमशः 205/0 अथवा 205/4 अंकित किया जाये। प्रत्येक बीट में अवैध ठूँठों पर अनुकमांक प्रत्येक केलेन्डर वर्ष (जनवरी से दिसम्बर) के लिये लगातार रखे जाना है। अतः पी0ओ0आर कमांक आदि अंकित करना आवश्यक नहीं है। यदि पी0ओ0आर0कमांक अंकित करना ही हैं तो ठूँठों के बगल में जमीन सतह पर छाल छीलकर पी0ओ0 आर0 कमांक अंकित किया जाये ।

5. अवैध कटाई के ठूँठों पर प्राप्त काष्ठ एवं ठूँठ ड्रेसिंग से प्राप्त काष्ठ को डिपों परिवहन कराया जाकर जप्त काष्ठ के मूल्य को वन हानि में समायोजित किया जावेगा। अतः ठूँठ ड्रेसिंग की प्रकिया पी0ओ0आर0 प्रकरण की जॉच समाप्ति के पूर्व ही करना होगा। जप्त काष्ठ का मूल्य वन हानि से जब तक नहीं घटाया जायेगा, तब तक ठूठों की ड्रेसिंग का कार्य पूर्ण संबंधित प्रमाण पत्र परिक्षेत्र अधिकारी प्रकरण के साथ संलग्न नहीं करेंगे। जप्त की गई परिवहन काष्ठ का चालान नम्बर का उल्लेख जॉच प्रतिवेदन में अंकित करना आवश्यक होगा ।

6. संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी/उप वन मण्डलाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि समस्त पी0ओ0आर0 के ठूँठों की ड्रेसिंग निर्धारित समय सीमा में ही की गई है। वन मण्डल अधिकारी प्रत्येक वर्ष के ठूँठ ड्रेसिंग कार्य की समीक्षा कर मुख्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे ।

7. अवैध कटाई के विवरण के साथ ही ठूँठ ड्रेसिंग का विवरण भी परिक्षेत्र स्तर पर संधारित की जाने वाली वन अपराध पंजी में किया जावेगा ।

8. अवैध कटाई के ठूठों की ड्रेसिंग क्षेत्रीय अमले द्वारा ही की जावेगी। ऐसे ठूँठ विदोहन/ड्रेसिंग के लिये उत्पादन वन मण्डल को हस्तातरित नही होगे। ठूँठ ड्रेसिंग कार्य वैज्ञानिक पद्धति से कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा ।

[illegible]

आंकलन कराने एवं परीक्षण उपरान्त ठूँठ [illegible] मानव दिवस में [illegible]वार/ प्रजातिवार स्वीकृत की जावे। वृत्त के लिये स्वीकृत की गई दरों की एक प्रति मुख्यालय को प्रेषित करेंगे ।

10. ठूँठ ड्रेसिंग कार्य पर होने वाला व्यय बजट मद 7882–12 मजदूरी अंतर्गत समायोजित होगा। ठूँठ ड्रेसिंग कार्य हेतु बजट की मांग वन मण्डलाधिकारी बजट मद 7882–12 मजदूरी से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये करेंगे। उपरोक्त बजट आंकलन हेतु वन मण्डल में विगत 3 वर्षो के कुल अवैध कटाई ठूठों के औसत को मुख्य वन सरंक्षक द्वारा स्वीकृत दर के अनुसार बजट गणना कर वर्ष 2011–12 हेतु अनुमानित बजट की मांग करेंगे ।

11. वनमण्डलाधिकारी मार्च 2011 के पूर्व के एक वर्ष अवधि के जीवित ठूँठों की बीटवार /प्रकरणवार सूची तैयार करवा कर सत्यापन उपरान्त ठूँठ ड्रेसिंग कार्य हेतु बजट की मांग प्रस्तुत करेंगे। बजट आवंटन के अनुसार ही कार्य किया जावेगा ।

12. उक्त निर्देशों का पालन कराने का उत्तर दायित्व संबंधित वन मण्डलाधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक का होगा ।

उपरोक्त निर्देशों को समस्त अधिनस्थों को भलिभॉंति अवगत कराते हुये निर्देशो का पालन किया जाना सुनिश्चित करें। मुख्य वन सरंक्षक (क्षेत्रीय) एवं वृत्त प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रवास के समय बीटों में ठूँठो की ड्रेसिंग का निरीक्षण कर क्षेत्रीय वन मण्डलाधिकारियों को निर्देश देंगे ।

17/1

(रमेश के0 दवे)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश भोपाल

पृ0 कमांक/एफ– 8/10–10/195 भोपाल, दिनांक 19/1/11

प्रतिलिपि :– 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म0प्र0 भोपाल

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) म0प्र0 भोपाल

3. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, भोपाल । कृपया वन विकास निगम के

P.T.O

प्रभार वाले वन क्षेत्रों में निर्देशो के कियान्वयन हेतु उचित कार्यवाही करें ।

4. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल

5. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय / वृत्त प्रभारी) म0प्र0 भोपाल

6. निज सचिव प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 भोपाल

17/1

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

मध्यप्रदेश भोपाल